भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2424

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 2025/24अग्रहायण,1947 (शक)

आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण

2424. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रशिक्षण महानिदेशालय देश भर में आईटीआई छात्रों के लिए फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली को किस प्रकार कार्यान्वित कर रहा है;

(ख) आंध्र प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत इसके कार्यान्वयन से लेकर जून, 2025 तक वर्ष-वार और जिला-वार कितने आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण मिला है;और

(ग) नौकरी प्राप्त प्रशिक्षित छात्रों की संख्या कितनी है तथा कितने छात्रों ने अपना स्वयं का कार्य/इकाइयां आरम्भ की हैं तथा कितने छात्रों को अपने उद्यम/स्टार्ट-अप/इकाइयां आदि आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता मिली है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क)

(i) फ्लेक्सि समझौता ज्ञापन योजना: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने वर्ष 2014 में फ्लेक्सी-एमओयू योजना शुरू की थी। यह योजना उद्योगों को बाजार के अनुरूप और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुकूलित पाठ्यक्रमों के साथ कौशल विकास कार्यक्रम बनाने की सुविधा प्रदान करती है। उम्मीदवारों को बाजार की मांग और नवीनतम तकनीकों के अनुरूप उद्योग वातावरण में प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्योग को प्रशिक्षुओं का चयन करने, व्यावहारिकआकलन करने और उद्योग के लिए तैयार प्रशिक्षुओं को अपने कार्यबल में शामिल करने की स्वतंत्रता भी मिलती है।

पर्याप्त कारोबार और सकारात्मक निवल मूल्य वाले उद्‌यम, लघु एवं मध्यम उद्‌यम (एमएसएमई), स्टार्ट-अप, प्रतिष्ठित उद्‌योग, सरकारी उपक्रम और यूजीसी द्‌वारा अनुमोदित या राज्य विधानमंडल अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित कौशल विश्वविद्‌यालय, जो उद्‌योग प्रशिक्षण घटक के लिए विश्वविद्‌यालय के अधिकार क्षेत्र वाले राज्य में स्थित हैं, औद्‌योगिक प्रशिक्षण भागीदार (आईटीपी) के रूप में भाग लेने के लिए योग्य हैं।

क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्‌यमशीलता निदेशालयों (आरडीएसडीई) और एक पात्र औद्‌योगिक प्रशिक्षण भागीदार (आईटीपी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। प्रशिक्षण मुख्य रूप से उद्‌योग परिसर में दिया जाता है, जबकि आकलन और प्रमाणन डीजीटी के मानदंडों के अनुसार संचालित किए जाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह, एक वर्ष और दो वर्ष होगी, जिसमें शिक्षण कक्ष प्रशिक्षण और उद्‌योग प्रशिक्षण घटक शामिल होंगे। सफल प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्‌वारा जारी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र (ई-एनटीसी) प्रदान किए जाते हैं।

(ii)दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी): उद्‌योगों और संस्थानों को राजकीय और निजी आईटीआई के साथ साझेदारी करने और उच्च रोजगार संभाव्य पाठ्‌यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम बनाने हेतु वर्ष 2016 में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) शुरू की गई थी, ताकि वे अपनी कुशल श्रमशक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली में आईटीआई के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सैद्‌धान्तिक प्रशिक्षण और उद्‌योग भागीदारों द्‌वारा प्रदान किए जाने वाले व्यावहारिकप्रशिक्षणका संयोजनहोता है। यह उद्‌योग संबंधों को सुगम बनाता है और प्रशिक्षुओं को अपने क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है।

डीएसटी में भाग लेने के लिए, उद्‌योगों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड यथा: इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए, कम से कम 40 कर्मचारी और विगत तीन वर्षों के लिए एक (1) करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार; गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए, कम से कम 6 कर्मचारी और विगत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का कारोबार जैसी शर्तों को अवश्य पूरा करना चाहिए।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात, प्रशिक्षु सीटीएस के अंतर्गत नियमित परीक्षाओं में भाग लेते हैं और सीटीएस के अंतर्गत अन्य आईटीआई प्रशिक्षुओं की ही तरह उन्हें ई-नेशनल ट्रेड प्रमाण-पत्र (ई-एनटीसी) प्रदान किया जाता है।

(ख) तथा (ग) फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) योजना के अंतर्गत जून, 2025 तक प्रशिक्षित/प्रमाणित और नामांकित प्रशिक्षुओं की राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः **संलग्नक-I** और **संलग्नक-II** में दी गई है। इसके लागू होने के बाद से आंध्र प्रदेश राज्य में फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) योजना के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया है।

संलग्नक-I

दिनांक 15.12.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2424 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-I और संलग्नक-II ।

फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन योजना के अंतर्गत प्रमाणित और नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा।

औद्योगिक प्रशिक्षण भागीदार (आईटीपी) के नाम	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**प्रशिक्षित और प्रमाणित प्रशिक्षुओं की संख्या**					**जून 2025 तक के सत्र के लिए नामांकन**
		वर्ष 2021-22	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**	**वर्ष 2025-26**	
सेंटूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (सीयूटीएम),	ओडिशा	211	209	18	78	151	5240
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल), नई दिल्ली	दिल्ली	908	3061	1984	1420	1232	4214
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु	कर्नाटक	-	-	41	200	32	735
एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल), हैदराबाद	तेलंगाना	-	-	89	49	-	100
सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात (एसएमजी),	गुजरात	-	-	-	-	244	914
मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी	सिक्किम	-	-	-	-	-	2290
*सुब्रोस लिमिटेड	दिल्ली	-	-	-	-	-	26

*समझौता ज्ञापन पर वर्ष 2024 में हस्ताक्षर किए गए।

<u>संलग्नक-II</u>

डीएसटी योजना के अंतर्गत नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षुओं का नामांकन**	**वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षुओं का नामांकन**
1.	दिल्ली	209	79
2.	गोवा	131	148
3.	गुजरात	00	81
4.	हरियाणा	6041	7587
5.	हिमाचल प्रदेश	386	553
6.	झारखंड	228	387
7.	कर्नाटक	498	1455
8.	मध्य प्रदेश	496	666
9.	महाराष्ट्र	2937	2869
10.	ओडिशा	1036	742
11.	पंजाब	511	508
12.	राजस्थान	00	40
13.	तमिलनाडु	206	171
14.	तेलंगाना	195	247
15.	उत्तर प्रदेश	14906	18041
16.	उत्तराखंड	20	578
17.	पश्चिम बंगाल	5766	4984

*****